(25)

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीधी (म.प्र.)

पृ.क.1766/ दो–एक–9–1/90 (उ.न्या.निर्देश) सीधी दिनांक 25/06/2022

प्रतिलिपि :–

1. विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज़) सीधी,
2. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सीधी,
3. प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सीधी न्यायालय के तृतीय अति. न्यायाधीश सीधी,
4. प्रथम/द्वितीय/तृतीय, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सीधी,
5. तृतीय/चतुर्थ/चतुर्थ अतिरिक्त, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सीधी,
6. प्रथम/द्वितीय/तृतीय, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, चुरहट,
7. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड/कनिष्ठ खण्ड (प्रथम/अतिरिक्त) मझौली,
8. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ/कनिष्ठ खण्ड रामपुरनैकिन,
9. रीडर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीधी,

   .....की ओर मध्यप्रदेश राजपत्र कमांक 22, दिनांक 3 जून 2022 का भाग 4(ग) अंतिम नियम, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर जबलपुर का कमांक. डी–1174 एवं डी–1176 प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

10. ग्रन्थपाल कार्यालय प्रधान जिला न्यायाधीश सीधी की ओर उक्त मध्यप्रदेश राजपत्र प्रपत्रागार में रखे जाने हेतु प्रेषित।
11. जेएसए. (Junior System Analyst), कार्यालय प्रधान जिला न्यायाधीश सीधी की ओर उक्त मध्यप्रदेश राजपत्र स्थापना की वेवसाईट पर अपलोड किए जाने हेतु प्रेषित।

प्रधान जिला न्यायाधीश
सीधी (म.प्र.)

571/22
11.06.2022

High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur

Endt. No. C.1271R Jabalpur, dated 10.6.2022

The copy of the Gazette Notification dated 03.06.2022 containing amendments in ***"Madhya Pradesh Rules and Orders (Criminal) and the Madhya Pradesh Civil Courts Rules, 1961"***, is forwarded to;

1. The Registrar cum PPS of Honourable the Chief Justice for kind information of His Lordship;
2. The Registrar General, the Principal Registrar (Judicial), the Principal Registrar (Vigilance) and the Principal Registrar (Examination & ILR) High Court of Madhya Pradesh Jabalpur for information and necessary action;
3. The Principal District and Sessions Judges, all in the State, With a request to bring the same into the knowledge of all the Judicial Officers under your kind control for information and necessary action;
4. District Judge, (Inspection), Jabalpur, Indore and Gwalior for information and necessary action;
5. The Principal Registrar, Bench at Indore and Gwalior High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for information;
6. The Director, Madhya Pradesh State Judicial Academy, Jabalpur for information;
7. Member Secretary, Madhya Pradesh State Legal Services Authority, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for information;
8. Registrar (Judicial-I), (Judicial-II), (Adminisatration), (Vigilance), (Inspection & Litigation), (Examination and Labour Judiciary) for information;
9. The Joint Registrar Confidential and the Administrative Officer, Checker Section, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for information.

10.6.2022

VIVEK SAXENA
REGISTRAR District Establishment

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 जून 2022—ज्येष्ठ 13, शक 1944

भाग ४

विषय—सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन	(3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 19 मई 2022

क्र. D—1174.

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 सहपठित धारा 477 दं.प्र.सं., 1973 (1974 का 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा रिट याचिका (आपराधिक) क्रमांक 1/2017 संदर्भः आपराधिक विचारणों में कमियों और अपर्याप्तताओं के संबंध में दिशानिर्देश जारी करने संबंधी पारित आदेश के अनुसरण में, एतद्द्वारा,

मध्य प्रदेश नियम तथा आदेश (आपराधिक) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:

संशोधन

उक्त नियमों में,–

1. नियम 107 के पश्चात् निम्नानुसार नियम जोड़ा जाए, अर्थात्:

"108. अभियोजकों एवं अन्वेषकों का पृथक्करण–

अन्वेषण के दौरान अन्वेषण अधिकारी को सलाह देने के लिए राज्य सरकार लोक अभियोजकों से भिन्न अधिवक्ताओं की नियुक्ति करेगी।"

2. नियम 117 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम जोड़े जाएं, अर्थात्;

"117-क. धारा 173, 207 एवं 208 दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 के अंतर्गत दस्तावेज प्रदान करना–

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 207 एवं 208 के अनुसार प्रत्येक अभियुक्त को दं.प्र.सं. की धारा 161 एवं 164 के अधीन अभिलिखित साक्षियों के कथन एवं अन्वेषण के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों, आवश्यक वस्तुओं तथा प्रदर्शों की एक सूची, जिन पर अन्वेषण अधिकारी (आई.ओ.) निर्भर रहा है, प्रदाय किए जाएंगे।

स्पष्टीकरण:– कथनों, दस्तावेजों, आवश्यक वस्तुओं तथा प्रदर्शों की सूची उन कथनों, दस्तावेजों, आवश्यक वस्तुओं तथा प्रदर्शों को विनिर्दिष्ट करेगी जिन पर अन्वेषण अधिकारी निर्भर नहीं रहा है।

117-ख. जमानत–

(1) अजमानतीय मामलों में जमानत के लिए आवेदन सामान्यतः प्रथम सुनवाई की तारीख से 3 से 7 दिनों की अवधि के भीतर

निपटाए जाएंगे। यदि आवेदन ऐसी अवधि के भीतर निपटाया नहीं जाता है तो पीठासीन अधिकारी आदेश में ही उसके कारण देंगे। आदेश एवं जमानत आवेदन का उत्तर अथवा प्रास्थिति प्रतिवेदन (पुलिस या अभियोजन द्वारा) यदि कोई हो तो, की प्रति अभियुक्त को आदेश सुनाए जाने की तारीख को ही दी जाएगी।

(2) पीठासीन अधिकारी, किसी भी समुचित मामले में अपने स्वविवेकानुसार मामले के भारसाधक अभियोजक द्वारा कथन प्रस्तुत किए जाने पर जोर दे सकते हैं।"

3. नियम 170 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम जोड़ा जाए, अर्थात्;

"170-क. आरोप विरचित करने के आदेश के साथ दं.प्र.सं., 1973 की अनुसूची II के प्ररूप 32 में औपचारिक आरोप होगा जो कि पीठासीन अधिकारी द्वारा संपूर्ण एवं पूर्ण रूप से बुद्धि का संपूर्ण एवं पूर्ण अनुप्रयोग करके व्यक्तिगत रूप से तैयार किया जाएगा।"

4. नियम 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 एवं 187 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किए जाएं, अर्थात्;

"180. प्रक्रिया–

(1) साक्षियों की अभिसाक्ष्य, यदि संभव हो तो, टंकित प्ररूप में अभिलिखित की जाएगी। पीठासीन अधिकारी के बोलने पर न्यायालय में साक्ष्य का अभिलेख, यदि उपलब्ध हो तो कम्प्यूटर पर तैयार किया जाएगा। किसी मामले में, यदि टंकित प्ररूप में अभिसाक्ष्य को अभिलिखित करना संभव नहीं है तो साक्षी की अभिसाक्ष्य न्यायालय द्वारा उसकी स्वयं की हस्तलिपि में लिखी जाएगी।

परन्तु जब किसी मामले में अभिसाक्ष्य अंग्रेजी या राज्य की भाषा के अलावा किसी अन्य भाषा में अभिलिखित की जानी है, तो पीठासीन अधिकारी उसी समय या तो स्वयं या एक सक्षम अनुवादक के माध्यम से अभिसाक्ष्य का अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे।

(2) अभिसाक्ष्य को साक्षी की भाषा में और जब अनुवाद किया जाता है तो उपनियम (1) में यथाउपबंधित अंग्रेजी में अभिलिखित किया जाएगा।

(3) अभिसाक्ष्यों को बिना किसी अपवाद के पीठासीन अधिकारी द्वारा न्यायालय में पढ़कर सुनाया जाएगा। इस प्रकार अभिलिखित की गई गवाही की हार्ड कॉपी, जिसे पीठासीन अधिकारी / न्यायालय अधिकारी द्वारा एक सत्यप्रतिलिपि के रूप में सम्यक रूप से हस्ताक्षरित किया गया है, अभियुक्त या अभियुक्त का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता को, साक्षी को और अभियोजक को उसे अभिलिखित करने की तिथि पर, पावती लेकर, निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।

(4) पीठासीन अधिकारी एक ही समय पर एक से अधिक प्रकरणों में साक्ष्य अभिलिखित नहीं करेंगे।

181. प्रत्येक न्यायालय में एक अनुवादक उपलब्ध कराया जाएगा और पीठासीन अधिकारियों को स्थानीय भाषाओं में, पीठासीन अधिकारी के निवेदन पर प्रशिक्षित किया जाएगा।

यदि अनुवादक न्यायालय का कर्मचारी नहीं है या सरकार द्वारा नियुक्त अनुवादक नहीं है तो न्यायालय उसे उसकी सेवाओं के लिए उचित पारिश्रमिक देने के लिए प्राधिकृत है, जो अर्ध्दकुशल साक्षी को भुगतान किये गये डी ए की राशि से अधिक नहीं हो। इस खाते के प्रभार उसी मद के नामे डाले जाएंगे, जो साक्षी के खर्चे से संबंधित हो।

182. साक्षियों के प्ररूप—

(1) अभिसाक्ष्य विहित प्रपत्र पर और प्रथम पुरूष में अभिलिखित किये जाएंगे।

(2) प्रत्येक साक्षी की अभिसाक्ष्य, अलग-अलग पैराग्राफ में विभक्त कर पैरासंख्या देते हुए अभिलिखित की जायेगी।

(3) अभियोजन साक्षियों को क्रमानुसार अ.सा. 1, अ.सा. 2 आदि के रूप में संख्यांकित किया जाएगा। इसी प्रकार बचाव साक्षियों को क्रमानुसार ब.सा. 1, ब.सा. 2 आदि के रूप में संख्यांकित किया

जाएगा। न्यायालीय साक्षियों को क्रमानुसार न्या.सा. 1, न्या.सा. 2 आदि के रूप में संख्यांकित किया जाएगा।

(4) यदि अभिसाक्ष्य एक ही पत्रक में पूरा नहीं किया जा सके, तो इसे अगले पत्रक में जारी रखा जाना चाहिए। प्रथम अनुवर्ती पत्रक पर "2", दूसरे पर "3" और इसी प्रकार आगे की संख्या लिखी जाएगी। प्रत्येक पत्रक पर क्रमांक तथा अ.सा., ब.सा., न्या.सा. के रूप में संख्या इंगित करते हुए साक्षी का नाम होना चाहिए। प्रत्येक साक्षी का अभिसाक्ष्य पृथक–पृथक पत्रक पर और संहिता में विहित रीति में अभिलिखित किया जाना चाहिए। एक साक्षी का अभिसाक्ष्य विस्तारपूर्वक अभिलिखित करके और अन्य साक्षियों के नामों के सम्मुख यह प्रविष्ट करना कि वे "उपरोक्तानुसार कथन करते हैं" अवैध है।

(5) अभिसाक्ष्य पत्रकों और अनुवर्ती पत्रकों, दोनों के शीर्षक निरपवाद रूप से पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं भरे जाने चाहिए। पूर्व दशा में, जब अपेक्षित हो, "प्रतिज्ञान" के स्थान पर शब्द "शपथ" स्थापित किया जाएगा। यदि साक्षी स्वयं की सही आयु बताने में समर्थ प्रतीत नहीं होता है तब शीर्षक में कथित आयु पीठासीन अधिकारी द्वारा अनुमानित की जाएगी। यदि, किसी विशेष कारण से, साक्षी का उसकी स्वयं की आयु के संबंध में कथन लिखा जाना आवश्यक हो, तो वह अभिसाक्ष्य के अंग के रूप में लिखा जाएगा। साक्षी का नाम, उसके पिता का नाम, निवास स्थान एवं व्यवसाय की विशिष्टियां उसके अभिसाक्ष्य का ही भाग होते हैं और यह शपथ या प्रतिज्ञान दिलाए जाने तक अभिलिखित नहीं किए जाने चाहिए। साक्षी का व्यवसाय यथार्थता के साथ अभिकथित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए "नौकरी" पर्याप्त विवरण नहीं है, यह कथित होना चाहिए कि साक्षी किस प्रकार की नौकरी में है। इसी प्रकार, "निजी सेवा", जिसका तात्पर्य लोक–नियोजन के विपरीत निजी नियोजन से अधिक कुछ नहीं होता, इसे किसी विशिष्ट प्रकार के नियोजन के

रूप में विचारित किया जाना चाहिए। किसी साक्षी का व्यवसाय केवल शासकीय सेवक नहीं लिखा जाना चाहिए, इसका कारण यह है कि सामान्यतः यह जानना उपयोगी होता है कि वह किस प्रतिष्ठा का है तथा कभी यह जानना विशेष महत्व का होता है कि क्या वह पुलिस अधिकारी है या नहीं। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि स्थानीय रूप से विख्यात एक साक्षी न्यायालय में विख्यात नहीं भी हो सकता है, जिसके लिये अन्ततः अभिलेख प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि साक्षी विवाहित स्त्री है तब उसके पिता के स्थान पर उसके पति का नाम लिखा जाना चाहिए।

(6) अभिसाक्ष्य अभिलिखित करते समय, बोलचाल की भाषा के शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए और यदि ऐसे शब्द आवश्यक है तो उनके निकटतम अर्थ को कोष्ठकों में बताया जाना चाहिए ताकि संदिग्धता से बचा जा सके। भारतीय तिथियों के बाद कोष्ठकों में उनके अंग्रेजी समकक्ष होने चाहिए।

(7) यदि कोई साक्षी कुछ सीमा चिन्हों को दर्शाते हुए दूरी के संबंध में कथन करता है, तो पीठासीन अधिकारियों द्वारा अनुमानित दूरी अभिनिश्चित की जानी चाहिए तथा कोष्ठकों में उल्लिखित की जानी चाहिए।

(8) पीठासीन अधिकारी को साक्षी की भाव–भंगिमा के संबंध में टिप्पणी देने में, जबकि ऐसी भाव–भंगिमा ध्यान देने योग्य है तथा साक्षी द्वारा दी गई साक्ष्य के मूल्यांकन में उसके अनुमान को प्रभावित करती है, चूक नहीं करनी चाहिए।

(9) अभिसाक्ष्यों का अभिलेख मुख्य परीक्षण, प्रति परीक्षण एवं पुन: परीक्षण की तिथि उपदर्शित करेगा।

(10) पीठासीन अधिकारी, जहां कहीं आवश्यक हो, अभिसाक्ष्य को प्रश्न व उत्तर के रूप में अभिलिखित करेंगें।

(11) अभियोजन अथवा बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा की गई आपत्तियों पर ध्यान दिया जाएगा तथा उन्हें साक्ष्य में परिलक्षित किया जाएगा

तथा उन्हें यथाशीघ्र, विधि के अनुसार या विद्वान न्यायाधीश के विवेक पर, प्रश्नगत साक्षी की अभिसाक्ष्य की समाप्ति पर विनिश्चित किया जाएगा।

(12) किसी पश्चातवर्ती तिथि पर साक्षी का नाम और क्रमांक स्पष्ट रूप से वर्णित किया जाएगा, यदि साक्ष्य उस तिथि पर समाप्त नहीं होती है जिस तारीख को वह आरंभ होती है।

(13) प्रत्येक साक्षी की साक्ष्य को, उस साक्षी को पढ़कर सुनाना चाहिए अथवा इसे स्वयं साक्षी द्वारा पढ़ा जा सकता है। प्रत्येक अभिसाक्ष्य को पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित (ना केवल अद्योहस्ताक्षरित) किया जाना चाहिए, जिन्हें अपने हस्ताक्षर में कम से कम अपने अधिकारिक पदनाम को दर्शाने वाले आद्याक्षरों को जोड़ना चाहिए, ताकि अभिसाक्ष्य स्वयं में पूर्ण हो सके। प्रत्येक अभिसाक्ष्य पत्र साक्षी द्वारा हस्ताक्षरित/अंगुष्ठ चिन्हित, जैसी भी स्थिति हो, किया जाएगा।

टिप्पणी:— किसी अभिसाक्ष्य या न्यायिक कार्यवाहियों के अभिलेख के भाग में किए गए प्रत्येक परिवर्तन, अंतरालेखन तथा मिटाऐ जाने को सदैव उसी समय पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने अद्योहस्ताक्षरों द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा। वह अभिसाक्ष्यों या साक्ष्य के ज्ञापन को टंकित कर सकेगा किंतु वह ऐसी टंकित विषयवस्तु के प्रत्येक पृष्ठ को हस्ताक्षरित करेगा।

(14) प्रत्येक अभिसाक्ष्य के अंत में, पीठासीन अधिकारी द्वारा निम्नलिखित रीति में एक प्रमाणपत्र अनुलग्नित किया जाएगा:—

"मेरे द्वारा न्यायालय में लिखा गया या लिखवाया गया तथा साक्षी द्वारा समझा/पढ़ा गया अथवा साक्षी को समझाया/पढ़कर सुनाया गया।"

(15) यदि साक्षी अभिलेख की शुद्धता स्वीकार करता है, अथवा जब कोई आवश्यक शुद्धियां की गई है, तब पीठासीन अधिकारी को अभिसाक्ष्य के पाद भाग पर अलग से उपयुक्त पृष्ठांकन करके तथा हस्ताक्षरित करके उसे प्रमाणित करना चाहिए। यदि साक्षी साक्ष्य के किसी भाग

की शुद्धता उस समय अस्वीकार करता है जब ऐसा भाग उसे पढ़कर सुनाया जाता है, तब पीठासीन अधिकारी अभिलेख में सुधार करने के बजाए, साक्षी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का उस पर ज्ञापन बना सकेगा एवं ऐसी विशिष्टियां जोडेगा जिन्हें वह आवश्यक समझे।

183. श्रव्य–दृश्य संपर्क के माध्यम से साक्ष्य का अभिलेखन–

साक्ष्य का श्रव्य–दृश्य संपर्क के माध्यम से अभिलेखन इस संबंध में पृथक रूप से बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा।

टिप्पणी: वर्तमान में "मध्यप्रदेश जिला न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं ऑडियो–विजुअल इलेक्ट्रॉनिक लिंकेज नियम, 2020" दिनांक 20.11.2020 को राजपत्र में अधिसूचित किए गए हैं।

184. आवश्यक वस्तुओं एवं साक्ष्य का प्रदर्शित किया जाना–

(1) अभियोजन प्रदर्श पी 1, पी 2 आदि के रूप में क्रमानुसार चिन्हांकित किए जाएंगें। समानतः, प्रतिरक्षा प्रदर्श, प्रदर्श डी 1, डी 2 आदि के रूप में क्रमानुसार चिन्हित किए जाएंगें। न्यायालय प्रदर्श, प्रदर्श सी 1, सी 2 आदि के रूप में क्रमानुसार चिन्हित किए जाएंगें।

(2) उस साक्षी का आसानी से पता लगाने के लिए, जिसके माध्यम से सर्वप्रथम साक्ष्य में दस्तावेज प्रस्तुत किया गया था, प्रदर्श क्रमांक आगे, प्रदर्श संख्या के पश्चात् ऐसे साक्षी की साक्षी संख्या दर्शित करेंगें। यदि कोई प्रदर्श, बिना उचित प्रमाण के चिन्हित किया गया है, तो उसे कोष्ठक में (प्रमाण के अध्यधीन) दिखाकर दर्शाया जावेगा। स्पष्टीकरणः यदि अभियोजन साक्षी क्र. 1 (अ.सा. 1) साक्ष्य में कोई प्रलेख प्रस्तुत करता है, तो उस प्रलेख को प्रदर्श पी 1/अ.सा. 1 चिन्हित किया जाएगा। यदि उस प्रलेख को चिन्हांकित किए जाने के समय उसके लिए उचित प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उसे प्रदर्श पी 1/अ.सा 1 (प्रमाण के अधीन) चिन्हांकित किया जाएगा। अ.सा. 1 द्वारा प्रस्तुत द्वितीय प्रलेख प्रदर्श पी. 2/ अ.सा. 1 होगा।

(3) आवश्यक वस्तुएं क्रमानुसार आ.व. 1, आ.व. 2 इत्यादि के रूप में चिन्हित की जाएंगी।

185. अभियुक्त, साक्षी, प्रदर्शों तथा आवश्यक वस्तुओं का पश्चात्वर्ती उद्धरण–

(1) आरोप विरचना के पश्चात्, अभियुक्तों को आरोप में अभियुक्त श्रंखला में उनकी रैंक व उनके नाम अथवा अन्य संदर्भों से संदर्भित किया जाएगा।

(2) साक्षियों की साक्ष्य अभिलिखित करने, प्रदर्श व आवश्यक वस्तुओं को चिन्हित करने के पश्चात्, अन्य साक्षियों की साक्ष्य अभिलिखित करने के दौरान, साक्षीगण, प्रदर्श व आवश्यक वस्तुएं उनके क्रमांक से संदर्भित की जाएंगीं ना कि उनके नामों या अन्य संदर्भों से।

(3) जहां शिकायत या पुलिस रिपोर्ट में उद्धरित साक्षियों का परीक्षण नहीं हुआ है, वे उनके नामों व शिकायत या पुलिस रिपोर्ट में उन्हें आवंटित संख्या से संदर्भित किये जाएंगें।

186. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 व 164 के अंतर्गत कथन संबंधी उद्धरण–

(1) प्रतिपरीक्षण के दौरान, संबंधित साक्षी का खंडन करने के लिए इस्तेमाल किये गये धारा 161 द.प्र.सं. के तहत दर्ज बयान के सुसंगत हिस्से को उद्धृत किया जाएगा। यदि उपरोक्तानुसार सुसंगत अंश उद्धृत किया जाना संभव न हो, तो पीठासीन अधिकारी, अपने स्वविवेक से, ऐसे सुसंगत अंश के प्रारंभिक व अंतिम शब्दों को, पृथक अंकन के माध्यम से, अभिसाक्ष्य अभिलिखित करते समय विनिर्दिष्टतः दर्शायेगा।

(2) ऐसे मामलों में, जहां सुसंगत अंश उद्धृत नहीं किया जाता है, केवल अंशों को ही अभियोजन या बचाव प्रदर्श के रूप में, जैसी भी स्थिति हो, स्पष्टतः चिन्हित किया जाएगा, ताकि साक्ष्य के अन्य अग्राह्य भाग अभिलेख का हिस्सा न हो।

(3) ऐसे मामलों में, जहां सुसंगत अंश उद्धृत नहीं किया जाता, वहां ग्राह्य भाग को स्पष्टतः अभियोजन अथवा बचाव प्रदर्श के रूप में, जैसी भी स्थिति हो, चिन्हित किया जाएगा।

(4) जब कभी जीवित व्यक्तियों के पूर्व कथनों के ऐसे अंश विरोधाभास/संपुष्टि हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं, तब धारा 161 के अधीन अभिलिखित कथनों पर लागू होने वाले पूर्वोक्त नियम, द.प्र.सं. की धारा 164 के अंतर्गत अभिलिखित किए गये कथनों पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगें।

(5) द.प्र.सं. की धारा 161 व 164 के अधीन संपूर्ण कथन का सर्वव्यापक अंकन नहीं किया जाएगा।

187. सांस्वीकृति कथनों का चिन्हांकन--

पीठासीन अधिकारी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 8 अथवा धारा 27 के अधीन ज्ञापन का प्रदर्श चिन्हित करने के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित करेगें कि ऐसे ज्ञापन के ग्राह्य भाग को चिन्हित किया गया है तथा ऐसे भाग को एक पृथक पृष्ठ पर निकाला गया है तथा चिन्हित किया गया है और एक प्रदर्श संख्या दी गई है।"

5. नियम 189 का लोप किया जाए।

6. नियम 191 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्;

"191. शीघ्र विचारण हेतु निर्देश--

(1) प्रत्येक जांच व विचारण में, कार्यवाहियां यथासंभव शीघ्रता से की जाएंगी, एवं, विशेष रूप से, जब एक बार साक्षियों का परीक्षण आरंभ हो गया है, तो वे सभी हाजिर साक्षियों की परीक्षा हो जाने तक दिन-प्रतिदिन जारी रखी जाएंगीं, जब तक कि ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, न्यायालय उन्हें अगले दिन से परे स्थगित करना आवश्यक न समझे। (द.प्र.सं., 1973 की धारा 309(1))। इस प्रयोजनार्थ, प्रारंभ में एवं आरोप की विरचना के तत्काल बाद, न्यायालय यह ध्यान में रखकर कि क्या साक्षी महत्वपूर्ण हैं अथवा

चक्षुदर्शी साक्षी हैं, अथवा औपचारिक साक्षी हैं अथवा विशेषज्ञ हैं, साक्ष्य अभिलिखित करने हेतु लगातार तारीखों को सुनिश्चित करने व नियत करने के लिए समयबध्द सुनवाई आयोजित करेगा, न्यायालय तब ऐसी निरंतर तारीखों को दर्शित करते हुए एक कार्यक्रम बनाएगा, जब साक्षियों का परीक्षण किया जाएगा; यह किसी एक दिनांक को साक्षियों के एक समूह की, अगली दिनांक को अन्य समूह की और इसी तरह आगे, अभिसाक्ष्यों के अभिलेखन का कार्यक्रम बनाने हेतु स्वतंत्र है। न्यायालय, विचारण आरंभ होने के पूर्व, यह भी सुनिश्चित करेगा कि क्या पक्षकार द.प्र.सं., 1973 की धारा 294 के अंतर्गत किसी दस्तावेज को स्वीकृत कराना चाहते है एवं उन्हें ऐसा करने की अनुज्ञा देगा, जिसके पश्चात् विचारण हेतु ऐसी लगातार तारीखें नियत की जाएंगी।

(2) विचारण के आरंभ होने के पश्चात्, यदि न्यायालय यह आवश्यक या उचित समझता है कि किसी जांच या विचारण का आरंभ करना मुल्तवी कर दिया जाए या उसे स्थगित कर दिया जाए तो वह समय–समय पर, ऐसे कारणों से जो लेखबध्द किए जाएंगे, ऐसे निबंधनों पर, जैसे वह ठीक समझे, उतने समय के लिए जितना वह युक्तियुक्त समझे, उसे मुल्तवी या स्थगित कर सकेगा। यदि साक्षी हाजिर हों तब उनकी परीक्षा किए बिना स्थगन या मुल्तवी करने की मंजूरी विशेष कारणों के बिना, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, नहीं दी जाएगी। (द.प्र.सं. 1973 की धारा 309(2))

(3) सत्र मामलों को अन्य कार्यों से अधिक प्राथमिकता दी जा सकती है एवं जब तक किसी दिन कोई सत्र कार्य पूर्ण नहीं होता, तो सत्र दिनों में कोई अन्य कार्य नहीं लिया जाएगा। जब एक बार कोई सत्र मामला नियत किया जाता है, तो जब तक अपरिहार्य ना हो, उसे मुल्तवी नहीं किया जाना चाहिए, और जब एक बार विचारण प्रारंभ हो चुका है तो इसके पूर्ण होने तक इसे दिन–प्रतिदिन जारी रखना चाहिए। यदि किसी कारण से, किसी मामले को स्थगित या मुल्तवी

करना हो तो दोनों पक्षों को इसकी सूचना तुरत दी जानी चाहिए तथा साक्षियों को रोकने एवं स्थगित तारीख पर उनकी उपस्थित सुनिश्चित करने हेतु तुरंत कदम उठाए जाने चाहिए।"

7. नियम 238 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम जोड़े जाएं, अर्थात्;

"238-क. प्रत्येक निर्णय में निम्नलिखित अंतर्विष्ट होगें–

(1) नियमों के प्ररूप–घ के अनुसार पक्षकारों के नाम दर्शित करने वाली प्रस्तावना से शुरुआत।

(2) नियमों के प्ररूप–ड. के अनुसार सारणीबद्ध विवरण।

(3) नियमों के प्ररूप–च के अनुसार अभियोजन साक्षी, बचाव साक्षी, न्यायालय साक्षी, अभियोजन प्रदर्श, बचाव प्रदर्श, न्यायालय प्रदर्श एवं आवश्यक वस्तुओं की सूची देते हुए परिशिष्ट।

238-ख. द.प्र.सं., 1973 की धारा 354 एवं 355 के अनुपालन में, समस्त मामलों में निर्णय में अंतर्विष्ट होंगे:

क. अवधारण के लिए एक या अधिक प्रश्न,

ख. उन पर विनिश्चय, एवं

ग. विनिश्चय का कारण।"

8. नियम 240 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्;

"240(1) निर्णय युक्तियुक्त लंबाई के पदों में लिखा जायेगा और प्रत्येक पद को क्रमानुसार संख्यांकित किया जायेगा। यथाविधि वे नियत टंकित पृष्ठ के लगभग तीन चौथाई से अधिक नहीं होना चाहिए तथा उनका उपपदों में विभाजन करने से बचा जाना चाहिए। पीठासीन अधिकारी, अपने स्वविवेक से, निर्णय को विभिन्न वर्गों में व्यवस्थित कर सकते हैं। यह मुख्यतः अपीलीय अथवा पुनरीक्षण की न्यायालय मे तर्क के दौरान, निर्णय के किसी विशेष भाग के उल्लेख को सुविधाजनक बनाने के लिए हैं।

(2) प्रारंभिक पदों में कमोवेश आरोप के विवरण देते हुए संक्षेप में यह बताया जाना चाहिए कि किस व्यक्ति पर क्या करने का आरोप है, जिससे कि प्रारंभ से ही यह बात पता लग जाए कि निर्णय किस बारे में है।

(3) अगले एक या दो पदों में स्वीकृत/अविवादित तथ्य दिये जाने चाहिए और अभियोजन मामले तथा प्रतिरक्षा के मध्य स्पष्ट रूप से अंतर करते हुए संक्षेप में उल्लेख करना चाहिए कि क्या स्वीकृत/अविवादित है और क्या नहीं। ग्रामों तथा स्थानों की दशा, उनके मध्य की दूरी एवं पक्षकारों एवं साक्षियों के आपसी संबंध जैसे विषयों का संकेत किया जाना चाहिए, जब ऐसे विवरण ऐसे मामलों को स्पष्टतः समझाने के लिए आवश्यक हों।

(4) उसके पश्चात् पक्ष एवं विपक्ष के साक्ष्य को क्रमबद्ध करते हुए एवं तर्क पर विचार करते हुए और दूसरे बिंदु पर अग्रसर होने के पूर्व पहले बिंदु पर स्पष्ट निष्कर्ष देते हुए जो बिंदु निर्णय के लिए उठते हैं उन्हें एक के बाद एक उल्लिखित करना चाहिए । विभिन्न बिन्दुओं को पृथक–पृथक पदों में अभिलिखित किए जाना चाहिए किंतु कुछ बिंदुओं के लिए एक से अधिक पदों की आवश्यकता पड़ सकती है। उद्देश्य के प्रश्न पर पहले विचार करना अनुचित है, क्योंकि वह ऐसे तर्क को आमंत्रित करता है कि एतद्द्वारा न्यायालय मामले के गुणदोषों का पूर्व से ही निर्णय कर लेती है।

(5) स्पष्ट एवं अविवादित बिन्दु पर श्रम नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि यह पाया जाता है कि एक व्यक्ति का सिर उसके शरीर से लगभग अलग हो गया है तो इस साक्ष्य पर विवेचन करना कभी–कभी ही आवश्यक हो सकता है कि वह व्यक्ति उसके बहुत पहले स्वस्थ नहीं था; उसकी चोटों की प्रकृति को इंगित करना और यह कहना कि यह स्पष्ट है और विवादित नहीं रहा है कि उसकी हत्या की गई थी, सामान्यतः पर्याप्त होगा और कि विनिश्चय के लिए केवल प्रश्न यह है कि उसकी किसने हत्या की।

(6) विनिश्चय हेतु उत्पन्न समस्त बिन्दुओं के विनिश्चय के पश्चात् सम्पूर्ण मामले का निर्णय उसी अथवा आगामी पद में दंडादेश, यदि कोई हो सहित होगा। यदि अभियुक्त द्वारा एक से अधिक अपराध किया जाना पाया जाता है तब प्रत्येक अपराध के लिये पृथक दंडादेश जब तक कि उससे भारतीय दंड संहिता की धारा 71 का अतिलंघन न होता हो, पारित किया जाना चाहिए, किंतु ऐसे दंडादेश समवर्ती रूप से चल सकेंगे।

(7) न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट को निर्णय का लेखन तब तक प्रारंभ नहीं करना चाहिए जब तक कि वह अपने मस्तिष्क में यह स्पष्ट नहीं कर लेता है कि कौन-कौन से बिन्दु पर उसे विनिश्चित करना है, उनके वह किस प्रकार निर्णय करने जा रहा है, और उनके निष्कर्षों के क्या कारण है तब वह इन बिंदुओं की, जहां तक संभव हो, स्पष्ट और संक्षिप्त चर्चा करेगा। निर्णय जब तक बाद में सतर्कतापूर्वक पढ़ा नहीं जाता और जहां आवश्यक हो सुधारा नहीं जाता, तब तक उसका पूरी तरह स्पष्ट होना असंभावित है।

(8) ये टिप्पणियां मुख्यतः विचारण न्यायालयों के मार्गदर्शन के लिए आशयित है, किन्तु सामान्य सिध्दांत अपील एवं पुनरीक्षण न्यायालयों द्वारा भी ध्यान में रखे जाना चाहिए।"

9. नियम 243 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्;

"243. (1) निर्णय में अभियुक्त, साक्षीगण, प्रदर्श तथा आवश्यक वस्तुओं को उनके नामपद्धति अथवा संख्या द्वारा संदर्भित किया जाएगा और, न केवल उनके नाम से या अन्यथा। जहां कहीं भी, अभियुक्त अथवा साक्षियों को उनके नाम से निर्दिष्ट करने की आवश्यकता हो, संख्या को कोष्ठक में उपदर्शित किया जाएगा।

(2) दोषसिद्धि के मामले में, अंतर्ग्रस्त अपराध एवं दी गई सजा को निर्णय में पृथक रूप से दर्शाया जाएगा। यदि कई अभियुक्तगण है, तो उनमें से प्रत्येक के बारे में पृथक से कार्यवाही की जाएगी। दोषमुक्ति के

मामले में एवं यदि अभियुक्त परिरोध में है, तो अभियुक्त को मुक्त करने के लिए निर्देश दिया जाएगा, जब तक कि ऐसा अभियुक्त किसी अन्य मामले में अभिरक्षा में न हो।"

10. नियम 458 में, अंतिम दो पैराग्राफ लोप किये जाएं।

11. प्ररूप–ग के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप जोड़े जाएं, अर्थात्;

प्ररूप–घ

समक्ष न्यायालय: ..... समक्ष ..... सत्र न्यायाधीश [निर्णय की तारीख] [प्रकरण सं. ...../20.....] (प्र.सू.रि./ अपराध और पुलिस थाने का विवरण)	
परिवादी	राज्य ..... या परिवादी का नाम
प्रतिनिधित्व द्वारा	अधिवक्ता का नाम
अभियुक्त	(1) नाम सभी विशिष्टयों सहित (अ 1) (2) नाम सभी विशिष्टयों सहित (अ 2)
प्रतिनिधित्व द्वारा	अधिवक्तागण का नाम

प्ररूप–ङ.

अपराध की तारीख	
प्र.सू.रि. की तारीख	
आरोप–पत्र की तारीख	
आरोपों के विरचना की तारीख	
साक्ष्य प्रारम्भ किये जाने की तारीख	
निर्णय सुरक्षित किए जाने की तारीख	
निर्णय की तारीख	
दंडादेश, यदि कोई हो, की तारीख	

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दंडादेश	धारा 428 द.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि

प्ररूप–च

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क. अभियोजन

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय

		साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अ.सा. 1		
अ.सा. 2		

ख. प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई हो: –

श्रेणी.	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
ब.सा. 1		
ब.सा. 2		

ग. न्यायालयीन साक्षी, यदि कोई हो: –

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
न्या.सा. 1		
न्या.सा. 2		

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

क. अभियोजन

सं. क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श पी. 1 / अ.सा. 1	
2	प्रदर्श पी. 2 / अ.सा. 2	

ख. प्रतिरक्षा :

सं. क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श डी. 1 / ब.सा. 1	
2	प्रदर्श डी. 2 / ब.सा. 2	

ग. न्यायालयीन प्रदर्श :

सं. क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श सी. 1 / न्या.सा. 1	
2	प्रदर्श सी. 2 / न्या.सा. 2	

घ. आवश्यक वस्तुएं :

सं. क्र.	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
1	आ.व. 1	
2	आ.व. 2	

*****

माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
कृष्णमूर्ति मिश्रा, रजिस्ट्रार जनरल.

Jabalpur, the 19th May 2022

No. D-1174.

In exercise of the powers conferred by Article 227 of the Constitution of India, read with Section 477 of the Criminal Procedure Code, 1973 (2 of 1974), the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Rules and Orders (Criminal) in pursuance to order passed by the Hon'ble Supreme Court in Suo Moto Writ Petition (Crl.) No. 1/2017 In Re: To Issue Certain Guidelines Regarding Inadequacies and Deficiencies in Criminal Trials.

AMENDMENTS

In the said rules,-

1. After Rule 107, the following rule shall be added, namely;

"**108. Separation of prosecutors and investigators-**

The State Governments shall appoint advocates, other than Public Prosecutors, to advise the Investigating Officer during investigation."

2. After rule 117, the following rules shall be added, namely;

"**117-A. Supply of documents under sections 173, 207 and 208 of Cr.P.C., 1973-**

Every Accused shall be supplied with statements of witness recorded under Sections 161 and 164 Cr.P.C., 1973 and a list of documents, material objects and exhibits seized during investigation and relied upon by the Investigating Officer (I.O) in accordance with Sections 207 and 208, Cr.P.C., 1973.

Explanation: The list of statements, documents, material objects and exhibits shall specify statements, documents, material objects and exhibits that are not relied upon by the Investigating Officer.

117-B . BAIL.-

(1) The application for bail in non-bailable cases must ordinarily be disposed off within a period of 3 to 7 days from the date of first hearing. If the application is not disposed off within such period, the Presiding Officer shall furnish reasons thereof in the order itself. Copy of the order and the reply to the bail application or status report (by the police or prosecution) if any, shall be furnished to the accused on the date of pronouncement of the order itself.

(2) The Presiding Officer may, in an appropriate case in its discretion insist on a statement to be filed by the prosecutor in charge of the case."

3. After rule 170, the following rule shall be added, namely;

"170-A. The order framing charge shall be accompanied by a formal charge in Form. 32, Schedule II, Cr.P.C., 1973 to be prepared personally by the Presiding Officer after complete and total application of mind."

4. For rule 180, 181,182, 183, 184, 185, 186 and 187, the following rules shall be substituted, namely;

"180 . Procedure-

(1) The depositions of witnesses shall be recorded, in typed format, if possible. The record of evidence shall be prepared on computers, if available, in the Court on the dictation of the Presiding Officer. In case, if recording of deposition in typed format is not possible then the deposition of the witness will be taken down by the Court in his/her own handwriting.

Provided that in case the language of deposition is to be recorded in a language other than English or the language of the State, the Presiding Officer shall simultaneously translate the deposition either himself or through a competent translator into English.

(2) The deposition shall be recorded in the language of the witness and in English when translated as provided in sub-rule (1).

(3) The depositions shall without exception be read over by the Presiding Officer in Court. Hard copy of the testimony so recorded duly signed to be a true copy by the Presiding Officer / Court officer shall be made available free of cost against receipt to the accused or an advocate representing the accused, to the witness and the prosecutor on the date of recording.

(4) The Presiding Officers shall not record evidence in more than one case at the same time.

181. A translator shall be made available in each Court and Presiding Officers shall be trained in the local languages, on the request of the Presiding Officer.

In case, the translator is not an employee of the Court or is not a Government translator, the Court is authorized to pay him a reasonable remuneration for his services not exceeding the amount of DA paid to semi-skilled witness. The charges on this account shall be debited to the same head, which relates to the expenses of witness.

182. Format of Witnesses -

(1) Depositions shall be recorded on the prescribed proforma and in first person.

(2) The deposition of each witness shall be recorded dividing it into separate paragraphs assigning paragraph numbers.

(3) Prosecution witnesses shall be numbered as PW-1, PW-2 etc, in seriatim. Similarly, defence witnesses shall be numbered as DW-1, DW-2, etc, in seriatim. The Court witnesses shall be numbered as CW-1, CW-2, etc; in seriatim.

(4) If the deposition cannot be completed in one sheet, it should be continued in next sheet. The first continuation sheet will be marked as "2", the second "3", and so on. Each sheet should bear the number and name of witness indicated the number as PW, DW, CW. The deposition of each witness should be recorded on a separate sheet and in the manner prescribed in the Code. It is illegal to record the deposition of one witness at length and to enter against the names of other witnesses that they "state as above".

(5) The headings, both of deposition sheets and of continuation sheets are invariably to be filled-up by the presiding officer himself, In the former, the word "oath" will be substituted, when required, for "affirmation". If the witness does not appear to be able to state his own age correctly, the age of the witness stated in the heading will be estimated by the presiding officer. If, for an special reason, it is necessary to record the witness's own statement as to his age, it will be recorded in the body of the deposition. The particulars as to the name, parentage,

residence and occupation of the witness are a part of the deposition itself and are not to be recorded till the oath or affirmation has been administered. The occupation of the witness must be stated with precision. For instance, "servant" is not a sufficient description, it must be stated what kind of servant the witness is. Similarly, "private service", which means nothing more than private employment as opposed to public employment, must be resolved into a particular kind of employment. A witness should not be recorded as by occupation a Government servant, for it is generally useful to know of what standing he is and it is particularly important some times to know whether he is a police officer or not. It should be borne in mind that a witness well known locally may not be well known in the court to which the record may ultimately have to be submitted. If the witness is a married woman her husband's name should replace that of her father.

(6) While recording depositions, use of colloquial words should be avoided and if such words are necessary then their nearest meaning should be stated in brackets so as to avoid any ambiguity. Indian dates should be followed their English equivalents in brackets.

(7) If a witness makes statement about distance by indicating some landmarks, then approximate distance should be ascertained and mentioned in brackets by the Presiding Officers.

(8) The presiding officer should not omit to make a note about the demeanour of a witness when such demeanour

is noteworthy and affects his estimate of the value of the evidence given by the witness.

(9) The record of depositions shall indicate the date of the chief examination, the cross examination and re-examination.

(10) The Presiding Officers shall wherever necessary record the deposition in question and answer format.

(11) Objections by either the prosecution or the defence counsel shall be taken note of and reflected in the evidence and decided immediately, in accordance with law, or, at the discretion of the learned Judge, at the end of the deposition of the witness in question.

(12) The name and number of the witness shall be clearly stated on any subsequent date, if the evidence is not concluded on the date on which it begins.

(13) The evidence of each witness should be read over to the witness or it may be read by the witness himself. Each deposition should be signed (not merely initialled) by the presiding officer, who should add to his signature at least the initials indicating his official designation, so that the deposition may be complete in itself. Each deposition sheet shall also be signed/ thumb impressed, as the case may be, by the witness.

Note: Every alteration, interlineations and erasure made in any deposition or part of a record of judicial proceedings shall invariably be attested at the time by initials of the presiding officer. He may type depositions or memoranda of evidence, but he shall sign every page of such typed matter.

(14) At the end of every deposition, a certificate by the Presiding Officer be appended in the following manner:

"Taken down or dictated by me in court and interpreted/read over to or by the witness".

(15) If the witness admits the correctness of the record, or when any necessary corrections have been made, the presiding officer should certify to this effect by making and separately signing a suitable endorsement at the foot of the deposition. If the witness denies the correctness of any part of the evidence when the same is read over to him, the Presiding Judge may, instead of correcting the evidence, make a memorandum thereon of the objection made to it by the witness and shall add such remarks as he thinks necessary.

183. Recording of evidence through audio-visual linkage-

Recording of Evidence through Audio-Visual Linkage will be in accordance with the separate Rules framed in this regard.

Note: Presently, "The District Courts of Madhya Pradesh Video Conferencing and Audio-Visual Electronic Linkage Rules, 2020" has been notified in Gazette on 20.11.2020.

184. Exhibiting of Material Objects and Evidence-

(1) Prosecution exhibits shall be marked as Exhibit P-1, P-2 etc *in seriatim*. Similarly, defence Exhibits shall be marked as Exhibit D-1, D-2, etc *in seriatim*. The Court exhibit shall be marked as Exhibit C-1, C-2, etc *in seriatim*.

(2) To easily locate the witness through whom the document was first introduced in evidence, the exhibit number shall further show the witness number of such witness after the Exhibit number. If an exhibit is marked without proper proof, the same shall be indicated by showing in brackets (subject to proof).

Explanation: If Prosecution witness No.1 (PW-1) introduces a document in evidence, that document shall be marked as Exhibit P-1/PW-1. If proper proof is not offered for that document at the time when it is marked, it shall be marked as Exhibit P-1/PW-1 (subject to proof). The Second document introduced by PW-1 shall be Exhibit P-2/PW-1.

(3) The Material objects shall be marked *in seriatim* as MO-1, MO-2 etc.

185. Subsequent references to Accused, Witness, Exhibits and Material Objects-

(1) After framing of charges, the accused shall be referred to by their ranks in the array of accused in the charge and by their names or other references.

(2) After recording the deposition of witnesses, marking of the exhibits and material objects, while recording deposition of other witnesses, the witnesses, exhibits and material objects shall be referred by their numbers and not by names or other references.

(3) Where witness cited in the complaint or police report are not examined, they shall be referred to by their names and the numbers allotted to them in the complaint or police report.

186. References to statements under section 161 and 164 Cr.P.C.-

(1) During cross examination, the relevant portion of the statements recorded under Section 161 Cr.P.C., used for contradicting the respective witness shall be extracted. If it is not possible to extract the relevant part as aforesaid, the Presiding Officer, in his discretion, shall indicate specifically the opening and closing words of such relevant portion, while recording the deposition, through distinct marking.

(2) In such cases, where the relevant portion is not extracted, the portions only shall be distinctly marked as prosecution or defence exhibit as the case may be, so that other inadmissible portions of the evidence are not part of the record.

(3) In cases, where the relevant portion is not extracted, the admissible portion shall be distinctly marked as prosecution or defence exhibit as the case may be.

(4) The aforesaid rule applicable to recording of the statements under Section 161 shall *mutatis mutandis* apply to statements recorded under Section 164 of the Cr.P.C. whenever such portions of prior statements of living persons are used for contradiction/ corroboration.

(5) Omnibus marking of the entire statement under section 161 and 164 Cr.P.C shall not be done.

187. Marking of Confessional Statements-

The Presiding Officer in addition to marking exhibit of Memo under section 8 or section 27 of the Indian

Evidence Act, 1872 shall also ensure that admissible portion of such Memo is marked and such portion is extracted on a separate sheet and marked and given an exhibit number.

5. Rule 189 shall be omitted.

6. For Rule 191, the following rule shall be substituted, namely;

"191. Directions for Expeditious Trial-

(1) In every enquiry or trial, the proceedings shall be held as expeditiously as possible, and, in particular, when the examination of witnesses has once begun, the same shall be continued from day to day until all the witnesses in attendance have been examined, unless the court finds the adjournment of the same beyond the following day to be necessary for reasons to be recorded. (Section 309 (1) Cr.P.C.,1973). For this purpose, at the commencement, and immediately after framing charge, the court shall hold a scheduling hearing, to ascertain and fix consecutive dates for recording of evidence, regard being had to whether the witnesses are material, or eye witnesses, or formal witnesses or are experts. The court then shall draw up a schedule indicating the consecutive dates, when witnesses would be examined; it is open to schedule recording of a set of witness' depositions on one date, and on the next date, other sets, and so on. The court shall also, before commencement of trial, ascertain if the parties wish to carry out admission of any document under section 294 Cr.P.C., 1973 and permit them to do so, after which such consecutive dates for trial shall be fixed.

(2) After the commencement of the trial, if the court finds it necessary or advisable to postpone the commencement of, or adjourn, any inquiry or trial, it may, from time to time, for reasons to be recorded postpone or adjourn the same on such terms as it thinks fit, for such time as it considers reasonable. If witnesses are in attendance no adjournment or postponement shall be granted, without examining them, except for special reasons to be recorded, in writing. (Section 309 (2) Cr.P.C.,1973).

(3) Sessions cases may be given precedence over all other work and no other work should be taken up on session's days until the sessions work for the day is completed. A Sessions case once posted should not be postponed unless that is unavoidable, and once the trial has begun, it should proceed continuously from day today till it is completed. If for any reason, a case has to be adjourned or postponed, intimation should be given forthwith to both sides and immediate steps be taken to stop the witnesses and secure their presence on the adjourned date."

7. After Rule 238, the following rules shall be added, namely;

"238-A. Every judgment shall contain the following-

(1) Start with a preface showing the names of parties as per Form-D to the rules.

(2) A tabular statement as per Form-E to the rules.

(3) An appendix giving the list of prosecution witnesses, defence witnesses, Court witnesses, Prosecution Exhibits, Defence Exhibits and Court Exhibits and Material Objects as per Form-F to the Rules.

238-B. In compliance with section 354 and 355 Cr.P.C., 1973, in all cases, the judgments shall contain:

A. the point or points for determination,

B. the decision thereon, and

C. he reasons for the decision"

8. For rule 240, the following rule shall be substituted, namely;

"240. (1) A judgment shall be written in paragraphs of a reasonable length and each paragraph shall be numbered *in seriatim*. They should not as a rule exceed about three quarters of a typed page and their division into sub-paragraphs should be avoided. The Presiding Officers, may, in their discretion, organize the judgment into different sections. This is mainly to facilitate reference to any particular portion of the Judgment during the argument in the appellate or revisional court.

(2) The opening paragraph should state briefly who is accused of doing what, giving more or less the details in the charge, so that it can be readily gathered from the start what the judgment is about.

(3) The next paragraph or two paragraphs should give the admitted/undisputed facts and state briefly the prosecution case and the defence, clearly distinguishing between what is admitted/ undisputed and what is not. Matters like the relative position of places and villages and distances between them and how the parties and witnesses are related to each other

should be indicated where such details are necessary for a clear understanding of the case.

(4) Then the points that arise for decision should be dealt with one by one, marshalling the evidence for and against and considering the arguments and giving a clear finding on one point before passing on to the next. The various points should be dealt with in separate paragraph, but some points may require more than one paragraph, it is inadvisable to consider the question of motive first, as that tends to invite the argument that the court thereby pre-judges the merits of the case.

(5) A point that is obvious and undisputed should not be laboured. For example, if a man is found with his head almost severed from his body, it can seldom be necessary to discuss the evidence that he was hale not long before; it will generally be sufficient to indicate the nature of his injuries and to say that it is obvious and has not been disputed that he was murdered, and that the only question for decision is who murdered him.

(6) After all the points that arise for decision have been decided the decision on the case as a whole will follow with the punishment, if any, either in the same or next paragraph. If the accused is found to have committed more than one offence, separate sentences should be passed for each offence, unless it infringes section 71

of the Indian Penal Code, but the sentences may of course run concurrently.

(7) A judge or magistrate should not start to write a Judgment until he has got it clear in his own mind what points he has to decide, how he is going to decide them, and the reasons for his decisions. Then he should try to deal with these points as lucidly and concisely as possible. A Judgment is unlikely to be lucid throughout unless it is carefully read over afterwards and corrected where necessary.

(8) These remarks are intended primarily for the guidance of trial courts, but the general principles should be borne in mind by appellate and revisional courts."

9. For rule 243, the following rule shall be substituted, namely;

"243. (1) In the judgment, the accused, witnesses, exhibits and material objects shall be referred to by their nomenclature or number and not only by their names or otherwise. Wherever, there is a need to refer to the accused or witnesses by their name, the number shall be indicated within brackets.

(2) In case of conviction, the judgment shall separately indicate the offence involved and the sentence awarded. In case there are multiple accused, each of them shall be dealt with separately. In case of acquittal and if the accused is in confinement, a direction shall be given to set the accused at liberty, unless such accused is in custody in any other case."

10. In Rule 458, last two paragraphs shall be deleted.

11. After Form-C, the following forms shall be added, namely:

Form -D

IN THE COURT OF ..... Present ..... Sessions Judge [Date of the Judgment] [Case No...../20.....] (Details of FIR/Crime and Police Station)	
COMPLAINANT	STATE OF ..... OR NAME OF THE COMPLAINANT
REPRESENTED BY	NAME OF THE ADVOCATE
ACCUSED	1. NAME WITH ALL PARTICULARS (A1) 2. NAME WITH ALL PARTICULARS (A2)
REPRESENTED BY	NAME OF THE ADVOCATES

FORM -E

Date of Offence	
Date of FIR	
Date of Charge sheet	
Date of Framing of Charges	
Date of commencement of evidence	
Date on which judgment is reserved	
Date of the Judgment	
Date of the Sentencing Order, if any	

ACCUSED DETAILS:

Rank of the Accused	Name of Accused	Date of Arrest	Date of Release on Bail	Offences charged with	Whether Acquitted or convicted	Sentence Imposed	Period of Detent on Undergone during Trial for purpose of section 428, Cr.P.C

FORM -F

List of Prosecution/Defence/Court Witnesses

A. Prosecution

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
PW1		
PW2		

B. Defence Witnesses, if any:

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
DW1		
DW2		

C. Court Witnesses, if any:

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
CW1		
CW2		

List of Prosecution/Defence/Court Exhibits

A. Prosecution:

Sr.No	Exhibit Number	Description
1	Exhibit P-1/PW 1	
2	Exhibit P-2/PW 2	

B. Defence

Sr.No.	Exhibit Number	Description
1	Exhibit D-1/DW 1	
2	Exhibit D-2/DW 2	

C. Court Exhibits

Sr.	Exhibit Number	Description
1	Exhibit C-1/CW 1	
2	Exhibit C-2/CW 2	

D. Material Objects:

Sr.	Material Object Number	Description
1	MO1	
2	MO2	

By order of the Hon'ble Chief Justice,
KRISHNAMURTY MISHRA, Registrar General.

जबलपुर, दिनांक 19 मई 2022

क्र. D–1176.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के साथ पठित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (क्रमांक 5 सन् 1908) की धारा 122 एवं मध्य प्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 23, द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, एतद्द्वारा, सिविल अपील क्र० 2021 का 1659 -- 1660 / विशेष अनुमति याचिका क्रमांक 7965 -- 7966 / 2020 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्देश दिनांक 22.04.2021 के अनुसरण में मध्य प्रदेश सिविल न्यायालय नियम, 1961 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:–

संशोधन

उक्त नियमों में,–

1 नियम 138 के उप–नियम (1) में, प्रारंभ में, शब्द, क्रमांक तथा अक्षरों "आदेश 10 नियम 1 प्रावधानों की ओर जो कदाचित ही पालन किए जाते हैं की ओर पीठासीन न्यायाधीशों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।" के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द, क्रमांक तथा अक्षर प्रतिस्थापित किये जाए, अर्थात्:–

"कब्जा देने से संबंधित वादों में, न्यायालय को तीसरे पक्ष के हित के संबंध में आदेश 10 के अंतर्गत वाद के पक्षकारों की परीक्षा करना चाहिए। पीठासीन अधिकारी सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 10 नियम 1 के उपबंधों का पालन करेंगे।"।

2. नियम 143 में,–

(1) उप–नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप–नियम जोड़ा जाए, अर्थात्:–

"(1–क) कब्जा देने से संबंधित वादों में, न्यायालय को आदेश 11 नियम 14 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें पक्षकारों को शपथ पर, ऐसे दस्तावेज प्रकट एवं पेश करने के लिए कहा

जाए, जो पक्षकारों के कब्जे में हों, जिसमें ऐसी संपत्तियों में तीसरे पक्ष के हित से संबंधित घोषणा शामिल है।"।

(2) उप–नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप–नियम जोड़ा जाए, अर्थात्:–

"(2–क) आदेश 10 के अंतर्गत पक्षकारों की परीक्षा या आदेश 11 के अंतर्गत दस्तावेज की प्रस्तुति या कमीशन की रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात्, न्यायालय को वाद के सभी आवश्यक या उचित पक्षकारों को जोड़ना चाहिए जिससे कार्यवाहियों की बहुलता से बचा जा सके एवं ऐसे वाद हेतुकों का संयोजन भी उसी वाद में करना चाहिए।"।

(3) उप–नियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप–नियम जोड़ा जाए, अर्थात्:–

"(5) धन के संदाय के लिए वाद में, विवाद्यकों के स्थिरीकरण के पूर्व, प्रतिवादी जहाँ तक उसे वाद में उत्तरदायी बनाया जा रहा है, उस सीमा तक अपनी संपत्ति को शपथ पर प्रकट करने हेतु अपेक्षित किया जा सकेगा। न्यायालय इसके अतिरिक्त, किसी भी प्रक्रम पर, समुचित मामलों में, वाद लंबित रहने के दौरान, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अंतर्गत शक्तियों को उपयोग करते हुए, किसी आज्ञप्ति की संतुष्टि सुनिश्चित करने हेतु प्रतिभूति अपेक्षित कर सकती है।"।

3. नियम 168 में, विद्यमान पैराग्राफ उप–नियम (1) के रूप में क्रमांकित किया जाए व इस प्रकार क्रमांकित उप–नियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप–नियम जोड़ा जाए, अर्थात्:–

"(2) न्यायालय को, किसी संपत्ति के कब्जे के परिदान के संबंध में आज्ञप्ति पारित करने के पूर्व आवश्यक रूप से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आज्ञप्ति न केवल उस संपत्ति का स्पष्ट विवरण समाहित करे, बल्कि संपत्ति की स्थिति के संबंध में भी असंदिग्ध हो।"।

4. नियम 184 में, उप–नियम (1) के अंत में, शब्दों "वाद का निराकरण यथासम्भव शीघ्र हो जाए।" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:–
"वे प्रवर्तन प्रकरण प्रस्तुत करने की दिनांक से छः माह के भीतर निराकृत हो जाएं, जिसे केवल लिखित में, ऐसे विलंब के कारणों को अभिलिखित करने पर ही बढ़ाया जा सकेगा।"।

5. नियम 187 में, विद्यमान पैराग्राफ, उप–नियम (1) के रूप में क्रमांकित किया जाए व इस प्रकार क्रमांकित उप–नियम (1) के पश्चात्, निम्न उप–नियम जोड़ा जाए, अर्थात्:–
"(2) धन संबंधी वाद में, न्यायालय अनिवार्यतः निरपवाद रूप से आदेश 21 नियम 11 का प्रयोग कर, मौखिक आवेदन पर धन के भुगतान हेतु आज्ञप्ति के त्वरित निष्पादन को सुनिश्चित करेगा।"।

6. नियम 197 में, विद्यमान पैराग्राफ को उप–नियम (1) के रूप में क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार क्रमांकित उप–नियम (1) के बाद निम्न उप–नियम जोड़ा जाए, अर्थात्:–
"(2) सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 60 के अंतर्गत पद " ..... निर्णीत–ऋणी के नाम में या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसके लिए न्यास में या उसकी ओर से" को किसी अन्य व्यक्ति, जिससे वह हिस्सा, लाभ या संपत्ति प्राप्त करने की योग्यता रखता हो, को सम्मिलित करने हेतु उदारतापूर्वक पढ़ा जाना चाहिए।"।

7. नियम 204 के बाद, निम्नलिखित नियम जोड़ा जाए, अर्थात्:–

"204–क (1) सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 47 या आदेश 21 के अंतर्गत अधिकारिता का प्रयोग करने वाले न्यायालय को अधिकारों का दावा करने वाले तीसरे पक्ष के आवेदन पर यंत्रवत सूचना जारी नहीं करना चाहिए। अग्रेतर, न्यायालय को ऐसे किसी भी आवेदन (आवेदनों) पर विचार करने से बचना चाहिए जिस पर पहले ही न्यायालय द्वारा वाद के न्यायनिर्णयन के समय विचार किया जा चुका हो या जो ऐसा विवाद्यक उठाता हो जो अन्यथा वाद के न्यायनिर्णयन के दौरान उठाया और न्यायनिर्णीत किया जा सकता था यदि आवेदक द्वारा सम्यक सावधानी बरती गई होती।

(2) न्यायालय का निष्पादन की कार्यवाही के दौरान केवल आपवादिक व दुर्लभ मामलों में ही साक्ष्य लेने की अनुमति देनी चाहिए, जहां तथ्य का प्रश्न किसी अन्य त्वरित तरीके, जैसे कमिश्नर की नियुक्ति या शपथपत्र के साथ फोटो या वीडियो सहित इलेक्ट्रॉनिक सामग्री मंगाने, का सहारा लेकर विनिश्चित नहीं किया जा सकता।

(3) न्यायालय को उपयुक्त मामलों में, जहां वह आपत्ति या प्रतिरोध या दावा तुच्छ या दुर्भावनापूर्ण लगता है, आदेश 21 के नियम 98 के उप–नियम (2) का सहारा लेना चाहिए और साथ ही साथ धारा 35–क के अनुसार प्रतिकारात्मक खर्चे अनुदत्त करने चाहिए।"।

8. नियम 232 में,–

(1) उप–नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप–नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"(1) निष्पादन न्यायालय इस तथ्य से संतुष्ट होने पर कि पुलिस की सहायता के बिना डिक्री का निष्पादन संभव नहीं है, जिला

पुलिस अधीक्षक / संबंधित थाने के भारसाधक अधिकारी को ऐसे कर्मचारियों को पुलिस सहायता उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दे सकता है जो डिक्री के निष्पादन की दिशा में कार्य कर रहे हैं।"।

(2) उप–नियम (2) में, "जिला पुलिस अधीक्षक" शब्दों के बाद चिन्ह व शब्द "/ संबंधित थाने के भारसाधक अधिकारी" अंतर्विष्ट किए जाएं, जहां कहीं भी वे आते हैं।

(3) उप–नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप–नियम जोड़ा जाए, अर्थात्:–

"(3) यदि लोक सेवक के विरुद्ध उसके कर्त्तव्यों के निर्वहन के दौरान किसी अपराध को न्यायालय के ज्ञान में लाया जाता है, तो उससे विधि के अनुसार कड़ाई से निपटा जाना चाहिए।"।

9. नियम 243 के उप–नियम (1) में, अंत में, "सिविल प्रक्रिया संहिता" शब्दों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:–

"तथा उपयुक्त मामले, जहां कब्जा विवादित नहीं है और न ही न्यायालय के समक्ष न्यायनिर्णयन हेतु वह तथ्य का प्रश्न है, तब संपत्ति के सटीक विवरण तथा स्थिति का आकलन करने के लिए कमीशन जारी किया जा सकता है।"

10. नियम 276 में, अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:–

"मामले के यथोचित न्यायनिर्णयन हेतु एक न्यायालय प्रापक को प्रश्नगत संपत्ति की स्थिति की निगरानी करने के लिए विधिक अभिरक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।"

माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
कृष्णमूर्ति मिश्रा, रजिस्ट्रार जनरल.

abalpur. the 19th May 2022

In exercise of powers conferred by Article 227 of the Constitution of India read with section 122 of the Code of Civil Procedure, 1908 (No.5 of 1908) and Section 23 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (No.19 of 1958), the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in Madhya Pradesh Civil Courts Rules, 1961 in pursuance to direction dated 22.04.2021 of the Hon'ble Supreme Court passed in Civil Appeal Nos.1659-1660 of 2021(@ Special Leave to Appeal Nos.7965-7966/2020), namely:-

AMENDMENTS

In the said rules,-

1. In Rule 138, in sub-rule (1), in the beginning, for the words, number and letters "The attention of presiding Judges is directed to the provisions of rule 1, Order X which are rarely observed", the following words, number and letters shall be shall be substituted, namely:-

"In suits relating to delivery of possession, the court must examine the parties to the suit under Order X in relation to third party interest. The Presiding Officer shall comply with the provisions of Order X Rule 1 of the CPC.".

2. In Rule 143,-

(1) After sub-rule (1), the following sub-rule shall be added, namely:-

"(1-A) In suits relating to delivery of possession, the court must exercise the power under Order XI Rule 14 asking parties to disclose and produce documents, upon oath, which are in possession of the parties including

declaration pertaining to third party interest in such properties.".

(2) After sub-rule (2), the following sub-rule shall be added, namely:-

"(2-A) After examination of parties under Order X or production of documents under Order XI or receipt of commission report, the Court must add all necessary or proper parties to the suit, so as to avoid multiplicity of proceedings and also make such joinder of cause of action in the same suit.".

(3) After sub-rule (4), the following sub-rule shall be added, namely:-

"(5) In a suit for payment of money, before settlement of issues, the defendant may be required to disclose his assets on oath, to the extent that he is being made liable in a suit. The Court may further, at any stage, in appropriate cases during the pendency of suit, using powers under Section 151 CPC, demand security to ensure satisfaction of any decree.".

3. In Rule 168, the existing paragraph shall be numbered as sub-rule (1) and after sub-rule (1), as so renumbered, the following sub-rule shall be added, namely:-

"(2) The Court must, before passing the decree, pertaining to delivery of possession of a property ensure that the decree is unambiguous so as to not only contain clear description of the property but also having regard to the status of the property.".

4. In Rule 184, in sub-rule (1) at the end, for the words "that cases are disposed of as speedily as possible.", the following words shall be substituted, namely:-

"that execution cases are disposed of within six months from the date of filing, which may be extended only by recording reasons in writing for such delay.".

5. In Rule 187, the existing paragraph shall be numbered as sub-rule (1) and after sub-rule (1), as so renumbered, the following sub-rule shall be added, namely:-

"(2) In a money suit, the Court must invariably resort to Order XXI Rule 11, ensuring immediate execution of decree for payment of money on oral application.".

6. In Rule 197, the existing paragraph shall be numbered as sub-rule (1) and after sub-rule (1) as so renumbered, the following sub-rule shall be added, namely:-

"(2) Under section 60 of CPC the term "...in name of the judgment-debtor or by another person in trust for him or on his behalf" should be read liberally to incorporate any other person from whom he may have the ability to derive share, profit or property.".

7. After Rule 204, the following rule shall be added, namely:-

"204-A. (1) The Court exercising jurisdiction under Section 47 or under Order XXI of CPC, must not issue notice on an application of third-party claiming rights in a mechanical manner. Further, the Court should refrain from entertaining any such application(s) that has already been considered by the Court while adjudicating the suit or

which raises any such issue which otherwise could have been raised and determined during adjudication of suit if due diligence was exercised by the applicant.

(2) The Court should allow taking of evidence during the execution proceedings only in exceptional and rare cases where the question of fact could not be decided by resorting to any other expeditious method like appointment of Commissioner or calling for electronic materials including photographs or video with affidavits.

(3) The Court must in appropriate cases where it finds the objection or resistance or claim to be frivolous or mala fide, resort to Sub-rule (2) of Rule 98 of Order XXI as well as grant compensatory costs in accordance with Section 35A.".

8. In Rule 232,-

(1) For sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) The Executing Court may on satisfaction of the fact that it is not possible to execute the decree without police assistance, direct the District Superintendent of Police/ S.H.O. of concerned Police Station to provide police assistance to such officials who are working towards execution of the decree.".

(2) In sub-rule (2), after the words "the District Superintendent of Police", the symbol and words "/S.H.O. of concerned Police Station" shall be inserted, wherever they occur.

(3) After sub-rule (2), the following sub-rule shall be added, namely:-

"(3) In case an offence against the public servant while discharging his duties is brought to the knowledge of the Court, the same must be dealt with stringently in accordance with law.".

9. In Rule 243, in sub-rule (1), at the end, after the words "Civil Procedure Code", the following sentence shall be added, namely:-

"and in appropriate cases, where the possession is not in dispute and not a question of fact for adjudication before the Court, Commission may be issued to assess the accurate description and status of the property.".

10. In Rule 276, at the end, the following sentence shall be added, namely:-

"A Court Receiver can be appointed to monitor the status of the property in question as *custodia legis* for proper adjudication of the matter.".

By order of the Hon'ble Chief Justice,
KRISHNAMURTY MISHRA, Registrar General.